

सत्यमेव जयते



कार्यालय:-बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरिद्वार स्थान रुड़की

प्रार्थना पत्र संख्या- 137

अन्तर्गत धारा 5-ग जो 0403/20

श्री गोपाल सिंह खेतवाल

बनाम

सरकार

मौजा-बन्जारेवाला ग्रन्ट परगना

व

तहसील-भगवानपुर

जिला-हरिद्वार

अनुमति-पत्र

श्री गोपाल सिंह खेतवाल पुत्र श्री राम सिंह खेतवाल निवासी ग्राम कठायतवाड़ा पोस्ट व तहसील व जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड ने जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-5 (ग) के अन्तर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि ग्राम बन्जारेवाला ग्रन्ट परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार के चक संख्या-257 के गाटा सं0-657/14 रकबई 0.0500 हे0, गाटा सं0-657/12 रकबई 0.0150 हे0 व गाटा सं0-657/15 रकबई 0.1365 हे0 व चक सं0-633 के गाटा सं0-106/4 क्षे0 0.2970 हे0 व गाटा सं0-657/25 क्षे0 1.0240 हे0 कुल रकबई 1.3210 हे0 में से 0.5504 हे0 व चक सं0-633 के खसरा सं0-106/4 रकबई 0.2970 हे0 व 657/25 रकबई 1.0240 हे0 कुल 2 किता 1.3210 हे0 में से 0.2752 हे0 कुल भूमि रकबई 1.0271 हे0 भूमि पर कृषि कार्य से निम्न प्रयोजनार्थ/आवादी निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी, भगवानपुर से आख्या प्राप्त की गई स0च0अ0 ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी उक्त भूमि के बैनामा के आधार पर तन्हा संक्रमणीय भूमिधर है और अपने भाग की भूमि पर काबिज है। यह भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र-21 में भी सुरक्षित नहीं की गयी है। ग्राम बन्जारेवाला ग्रन्ट परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार के चक संख्या-257 के गाटा सं0-657/14 रकबई 0.0500 हे0, गाटा सं0-657/12 रकबई 0.0150 हे0 व गाटा सं0-657/15 रकबई 0.1365 हे0 व चक सं0-633 के गाटा सं0-106/4 क्षे0 0.2970 हे0 व गाटा सं0-657/25 क्षे0 1.0240 हे0 कुल रकबई 1.3210 हे0 में से 0.5504 हे0 व चक सं0-633 के खसरा सं0-106/4 रकबई 0.2970 हे0 व 657/25 रकबई 1.0240 हे0 कुल 2 किता 1.3210 हे0 में से 0.2752 हे0 कुल भूमि रकबई 1.0271 हे0 भूमि पर कृषि कार्य से निम्न प्रयोजनार्थ/आवादी बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो चकबन्दी प्रक्रियाओं पर कोई प्रांकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैंने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध करायी गयी सहायक चकबन्दी अधिकारी, भगवानपुर की आख्या का अवलोकन किया और पाया कि प्रार्थी उक्त भूमि के बैनामा के आधार पर तन्हा संक्रमणीय भूमिधर है, और स्थल पर काबिज है। यह भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र-21 में भी सुरक्षित नहीं की गयी है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। चकबन्दी समिति के सदस्य सहमत हैं। उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कृषि कार्य से निम्न प्रयोजनार्थ/आवादी निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर प्रार्थी श्री गोपाल सिंह खेतवाल पुत्र श्री राम सिंह खेतवाल निवासी ग्राम कठायतवाड़ा पोस्ट व तहसील व जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बन्जारेवाला ग्रन्ट परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार के चक संख्या-257 के गाटा सं0-657/14 रकबई 0.0500 हे0, गाटा सं0-657/12 रकबई 0.0150 हे0 व गाटा सं0-657/15 रकबई 0.1365 हे0 व चक सं0-633 के गाटा सं0-106/4 क्षे0 0.2970 हे0 व गाटा सं0-657/25 क्षे0 1.0240 हे0 कुल रकबई 1.3210 हे0 में से 0.5504 हे0 व चक सं0-633 के खसरा सं0-106/4 रकबई 0.2970 हे0 व 657/25 रकबई 1.0240 हे0 कुल 2 किता 1.3210 हे0 में से 0.2752 हे0 कुल भूमि रकबई 1.0271 हे0 भूमि पर कृषि कार्य से निम्न प्रयोजनार्थ/आवादी निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवासीय निर्माण के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। यह आदेश 60 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा।

पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाये।

प्रार्थना पत्र की संख्या व दिनांक 214/26-7-19
नकल तैयारी का दिनांक 27-7-19
नोटिस बोर्ड पर चपका करने का दिनांक 28-7-19
टिकटों का मुल्य 7-00
अनुमति शुल्क 29-00
वितरण करने का दिनांक 31-7-19
वितरण कर्ता का हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित

पेशी का मुल्य

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की

9/7-00

27

12. 11. 2019